प्रेस विज्ञप्ति

हाथ बढ़ायें और मानेसर के श्रमिकों के हाथ बचायें.

“Crushed”: ऑटो क्षेत्र के सप्लाई चेन में हज़ारों हाथों और अंगुलियों के कट जाने की दास्तान

ये रिपोर्ट मानेसर के 1300 से भी ज़्यादा चोटिल श्रमिकों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है

-83 प्रतिशत मशीनों में सेफ्टी सेंसर लगे ही नहीं थे.

-48 प्रतिशत श्रमिकों पर सुपरवाइज़र ने ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन का दबाव डाला.

-52 प्रतिशत दुर्घटनायें सिर्फ एक तरह की मशीन- पावर प्रैस- पर हुईं.

-65 प्रतिशत की उम्र 30 साल से कम थी और इतने ही प्रतिशत कांट्रैक्ट वर्कर (अनुबंध श्रमिक) थे.

-47 प्रतिशत कारखानों में सेफ्टी उपकरण नहीं थे या खराब किस्म के थे.

-जबकि 93प्रतिशत मारुति सुज़ुकी, हीरो या हौंडा के लिये कलपुर्जे बना रहे थे. ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है क्योंकि ये ऑटो-ब्रैंड राष्ट्रीय हैं और देश भर के सप्लाई चेन कारखानों में यही समान परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं.

गुरुग्राम, 11 अगस्त, 2019: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के तीन पूर्व छात्रों द्वारा शुरू किये एक गैर सरकारी संगठन सेफ इन इंडिया फाउंडेशन (SII) ने भारतीय वाहन उद्योग (ऑटोमोटिव इंडस्ट्री) में व्यापक दुर्घटनाओं और श्रमिकों की दुर्दशा पर एक रिपोर्ट जारी की जो आँखें खोल देने वाली है. ये रिपोर्ट, Crushed, कुछ व्यावहारिक समाधान सुझाती है और वाहन निर्माताओं और सरकारी संगठनों को ठोस कदम उठाने के लिये प्रेरित करती है. गुरुग्राम के मंडल आयुक्त श्री अशोक सांगवान ने “इन दुर्घटनाओं की समस्या के दीर्घकालीन और व्यावहारिक समाधान” विषय पर एक पैनल चर्चा के अवसर पर इस रिपोर्ट का विमोचन किया.

ये रिपोर्ट 1300 से ज़्यादा चोटिल श्रमिकों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है, जिनकी SII ने कर्मचारी राज्य बीमा आयोग (ESIC) चिकित्सा सेवा और हितलाभ प्राप्त करने में मदद की. यद्यपि SII का कार्यक्षेत्र अभी केवल गुरुग्राम तक सीमित है, कई वजहों से ये निष्कर्ष एक राष्ट्रीय चुनौती को प्रतिबिम्बित करते हैं.

ऑटो ब्रैंडों की राष्ट्रीय पहचान है, उनके उत्पाद पूरे देश में बेचे जाते हैं और निर्यात भी किये जाते हैं.

नेशनल गाइडलाइंस ऑफ रिस्पॉसिबिल बिज़नेस कंडक्ट (NGRBC) व्यवसायों को उनके वैल्यू चेन में कार्य स्थितियों के लिये ज़िम्मेदार ठहराती है.

सम्पूर्ण देश में, विशेष रूप से वहान उद्योग के केंद्रों में, कारखानों में कार्य स्थितियों के मुद्दे एक समान है, जहाँ बड़ी संख्या में पावर प्रैस और इंजैक्शन मोल्डिंग मशीनों का उपयोग होता है. इन मशीनों पर दुर्घटनाओं की सबसे ज़्यादा संभावना होती है.

सम्माननीय श्रम और रोज़गार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने इस अवसर पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई.

विमोचन के अवसर पर बोलते हुए SII के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संदीप सचदेवा ने कहा, “सिर्फ हमारा संगठन ही ऐसे हज़ारों श्रमिकों के सम्पर्क में रहता है जिन्होंने ऑटो क्षेत्र के सप्लाई चेन में काम करते हुए अपने हाथ औरअंगुलियाँ खोई हैं, और ये अभी भी हो रहा है. वास्तव में हकीकत इससे भी ज़्यादा भयावह है.

“Crushed” इन भीषण दुर्घटनाओं के मुद्दे पर प्रकाश डालती है. ये एक ऐसी समस्या के कारणों की समीक्षा करती है और इसके संभावित समाधान भी सुझाती है जो वास्तव में इतनी विकट चुनौती भी नहीं है. हमारा विश्वास है कि इस परिवर्तन के लिये सरकार के सहयोग से उद्योग, विशेष रूप से ऑटो ब्रैंडों, को ही नेतृत्व करना होगा, जो अंततः इन कलपुर्जों के खरीदार है. आवश्यक नियम और दिशानिर्देश कारखाना अधिनियम (Factory Law) और नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉसिबिल बिज़नेस कंडक्ट के तहत मौजूद हैं. हमारी चुनौती इनको प्रभावी रूप से लागू करने और छोटे कारखानों को अच्छेऔर बुरे का अंतर समझाने की है.

हम इन पक्षों और श्रमिकों के साथ मिल कर ये दुर्घटनायें रोकने के लिये काम करते रहना चाहते हैं, यह श्रमिकों और उद्योग दोनों के लिये लाभदायक होगा.

जहाँ बड़ी वाहन निर्माता कम्पनियों में अच्छी स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियाँ मौजूद हैं, वहीं इन कम्पनियों के छोटे सप्लायर्स को अपनी सुरक्षा प्रथाओं / नीतियों को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है. SII ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रचनात्मक कदमों पर चर्चा करने और सहमति बनाने के उद्देश्य से मारुति, हौंडा और हीरो के प्रबंधनों से गोपनीयता पूर्वक अपने निष्कर्षों को साझा किया. इनमें से किसी ने भी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आपत्ति नहीं की, और सभी सहमत हैं कि कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है. जहाँ मारुति सुज़ुकी ने तत्परता से निष्कर्षों को स्वीकार किया और कुछ कदम भी उठाये, हौंडा ने भी अपनी सप्लाई चेन से जानकारी तलब करना शुरू कर दिया है. श्रम मंत्रालय ने भी प्रासंगिक विभाग DG FASLI को रिपोर्ट के निषकर्षों को सम्बोधित करने के लिये कार्य समूह बनाने का निर्देश दिया है और CIF गुरुग्राम के साथ बैठकें आयोजित की है.

विमोचन के बाद प्रतिष्ठित वक्ताओं के एक पैनल ने इस विषय पर अपने विशेषज्ञ विचार प्रस्तुत किये.

श्री विपुल मुद्गल; कॉमन कॉज़

श्री पवन कुमार; भारतीय मज़दूर संघ

श्री राजीव खंडेलवाल; आजीविका ब्यूरो

प्रोफैसर रवि श्रीवास्तव;

श्री संदीप सचदेवा; सेफ इन इंडिया फाउंडेशन

संदीप ने आगे कहा, “हमारा काम इस रिपोर्ट के साथ समाप्त नहीं हो जाता. ये एक लंबी यात्रा है और जब तक हम ये दुर्घटनायें रोकने में सफल नहीं हो जाते, हम उद्योग और सरकार के साथ इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग करना और अपने सुझावों पर रचनात्मक चर्चा करना जारी रखेंगे.

हज़ारों श्रमिक वाहन उद्योग के कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं में हर वर्ष अपने हाथ या अंगुलियाँ खो देते हैं, और ये तो सिर्फ गुरुग्राम की कहानी है. भारत भर में तो ये संख्या असाधारण रूप से विशाल होगी. इनमें से ज़्यादातर श्रमिक युवा, प्रवासी, अनुबंध श्रमिक हैं जो कार और दो पहिया निर्माताओं को कलपुर्जे सप्लाई करने वाली छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं. इन कारखानों में सुरक्षा संस्कृति का अभाव और कम से कम लागत पर उत्पादन का अनवरत दबाव इन दुर्घटनाओं के कारण

हैं जो कितने ही अंगभंग के मामलों की वजह बन जाते हैं. अक्सर ये श्रमिक अपने नौकरियाँ खो बैठते हैं या कम वेतन पर किसी भी तरह का काम करने पर मजबूर हो जाते हैं. इसका दुष्प्रभाव उनके साथ उनके परिवारों पर भी पड़ता है.

सेफ इन इंडिया फाउंडेशन: एक परिचय

सेफ इन इंडिया फाउंडेशन (SII) की स्थापना वर्ष 2015 में IIM अहमदाबाद के तीन पूर्व छात्रों द्वारा इस समस्या को सम्बोधित करने के उद्देश्य से की गई कि गुड़गाँव के एक ESIC डॉक्टर के अनुसार 'गुड़गाँव के कारखानों में प्रतिदिन 20 श्रमिक अपने हाथ या / और अंगुलियाँ खो देते हैं.' SII को मुख्यतः IIM अहमदाबाद और IIT रुड़की के पूर्व छात्रों से आर्थिक मदद और पूर्ण समर्थन प्राप्त है.

अपनी स्थापना के बाद से SII ने अब तक ऐसे लगभग 2000 चोटिल श्रमिकों को बेहतर ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) चिकित्सासेवा और करीब 15 करोड़ के ESIC हितलाभ प्राप्त करने में मदद की है. SII ऐसे श्रमिकों की मदद करना जारी रखेगी क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है. साथ ही, SII दीर्घकालीन व्यवस्थागत परिवर्तन पर भी काम कर रही है. सर्वप्रथम, SII ESIC राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रबंधन के साथ मिल कर गुड़गाँव और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी श्रमिकों की चिकित्सा सेवा और हितलाभ सेवा को बेहतर बनाने के लिये प्रयासरत है. दूसरा व्यवस्थागत परिवर्तन जिस पर SII ने काम करना शुरू किया है, वह इन दुर्घटनाओं की रोकथाम करने से संबंधित है.

ज़्यादा जानकारी के ले, देखें, https://www.safeinindia.org/ और हमें ट्विटर SafeInIndia पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को लाईक करें.

और ज़्यादा जानकारी के लिये सम्पर्क करें,

पूजा गर्ग खान, 9811315510